संख्या: 64/2015/1073/छप्पन-2015-7/2013 टी0सी0

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 05 अगस्त, 2015

विषय: राजकीय हेलीकाप्टर बेल-412 ई.पी. पर कैप्टन उत्पल बनर्जी, पायलट (रोटर विंग) को मैसर्स हैट्स आफ ट्रेनिंग प्रा0लि0, बैंगलौर में शुल्क भुगतान के आधार पर ग्राउण्ड कोर्स तथा लेवल-डी फ्लाइंग ट्रेनिंग सिमुलेटर पर दिए जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 346/ना0उ0नि0/आप्स-17-2015, दिनांक 02-7-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कैप्टन उत्पल बनर्जी को मैसर्स हैट्स आफ ट्रेनिंग प्रा0लि0, बैंगलौर में शुल्क भुगतान के आधार पर ग्राउण्ड कोर्स तथा लेवल-डी फ्लाइंग ट्रेनिंग सिमुलेटर पर दिनांक 16-8-2015 से दिनांक 28-8-2015 तक (यात्रा दिवसों को सम्मिलित करते हुए) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जानी है। फर्म को प्रशिक्षण शुल्क के रूप में कुल रू0 7,07,361/-, इसके अतिरिक्त प्रशिक्षार्थी को 10 दिन के लिए एकोमोडेशन व्यय हेतु रू0 30,000/- का व्यय निहित है, अर्थात प्रशिक्षण/एकोमोडेशन शुल्क के रूप में कुल रू0 7,37,361/- की स्वीकृति दी जानी है। अतः राज्यपाल महोदय कैप्टन उत्पल बनर्जी को दिनांक 16-8-2015 से दिनांक 28-8-2015 तक मैसर्स हैट्स आफ ट्रेनिंग प्रा0लि0 बंगलौर में ग्राउण्ड कोर्स तथा लेवल-डी फ्लाइंग ट्रेनिंग सिमुलेटर पर कराये जाने की स्वीकृति एवं प्रशिक्षण शुल्क/एकोमोडेशन शुल्क के रूप में रू0 7,37,361/- (रूपये सात लाख सैंतीस हजार तीन सौ इकसठ मात्र) के व्यय एवं अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान मैसर्स हैट्स आफ ट्रेनिंग प्रा0लि0, बैंगलौर को नियमानुसार बैंक ड्राफ्ट अथवा एकाउन्ट ट्रांसफर के माध्यम से अग्रिम के रूप में किया जाय। स्वीकृत धनराशि के अग्रिम आहरण एवं भुगतान में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए निदेशक एवं आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उक्त अग्रिम का आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15(1)/69, दिनांक 25-10-1983 एवं संख्या-ए-1-235/दस-2011-15(1)/69, दिनांक 10-6-2011 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए उपलब्ध बजट व्यवस्था के अन्तर्गत ही किया जाय तथा यात्रा व्यय का भुगतान 04-यात्रा व्यय के मद से नियमानुसार किया जाय।

5- उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात कैप्टन उत्पल बनर्जी के लाइसेन्स में नियमानुसार पृष्ठांकन कर स्वीकृत धनराशि का समायोजन की सूचना शासन को तत्काल दी जाय।

6- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या 38 के आयोजनेत्तर पक्ष के लेखा षीर्शक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

7- ये आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र सं0-एफ0ए0-1-244/दस-15, दिनांक 04 अगस्त, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

संख्या: 64/2015/1073(1)/छप्पन-2015- तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा) उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
5- मैसर्स हैट्स आफ ट्रेनिंग एकेडमी प्रा0लि0, बैंगलौर।
6- सम्बन्धित अधिकारी।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।